संख्या– /XXIV(4)/2019-25(01)/2018

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 03 जनवरी, 2019

विषय– **उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र–छात्राओं को आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा 28 दिसम्बर, 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49) प्रख्यापित किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49) की धारा–32 (1) व (2) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत है–

32.(1) All Government institutions of higher education and other higher education institutuions receiving aid from the Government shall reserve not less than five percent seats for persons with benchmark disabitities.

(2) The persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five years for admission in institutions of higher education.

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र–छात्राओं को भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में प्रख्यापित उक्त धारा–32 (1) व (2) के अनुसार आरक्षण एवं आयु सीमा में शिथिलीकरण अनुमन्य होगा।

अतएव कृपया उपुर्यक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 33 (1)/XXIV(4)/2019-25(01)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
03/01/19
(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।